राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(277)डीएलबी / 16 / 9072 जयपुर,दिनांकः 06/10/16

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–A एवं इसके तहत बने राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का समर्पण और आवंटन) नियम, 2015 के अन्तर्गत नियमन एवं स्थानीय स्तर पर जारी होने वाली लीजडीड के क्षेत्रफल की सीमा के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान पूर्व से ही निम्नानुसार सुस्पष्ट है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–अ एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम 2015 व अधिसूचना संख्या प.8 (ग) (12) नियम / डीएलबी / 2015 / 11263 दिनांक 24.09.2015 में समर्पित भूमि की लीजडीड जारी करने हेतु क्षेत्रफल के संबंध में नगर पालिका / परिषद / निगम स्तर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। अतः स्थानीय स्तर पर सर्मपणकर्ता द्वारा समर्पित अकृषि भूमि के किसी भी क्षेत्रफल के लिये लीजडीड उक्त नियम 2015 के प्रावधानानुसार समर्पणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुरूप नियमानुसार जारी किये जाने हेतु निगम / परिषद / नगर पालिका सक्षम है। इसके लिये राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(277)डीएलबी / 16 / 9073-9311 दिनांकः 06/10/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
03. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर्स राजस्थान
04. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / अजमेर / बीकानेर एवं भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
05. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाएं, समस्त राजस्थान
06. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी